न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 11/06

तारीख दायराः–08.09.2006

कैलाश चंद पुत्र भैरो, जाति ब्रहाम्ण निवासी कस्बा नगर (फौत)
1/1. विरमा देवी पत्नि कैलाश
1/2. अशोक कुमार पुत्र कैलाश चंद
1/3. मनोज कुमार पुत्र कैलाश चंद
1/4. राजकुमार पुत्र कैलाश चंद
1/5. आशा पुत्री कैलाश चंद
1/6. ऊषा पुत्री कैलाश चंद
1/7. विजय पुत्री कैलाश चंद
जातियान वैश्य निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

————प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील नगर जिला डीग।
2. प्रभूदयाल पुत्र राधेश्याम जाति वैश्य निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

————————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. व 151 जा.दी.

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री संदीप मदान प्रार्थीगण।
2. पैरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या 01
3. अधिवक्ता श्री गजेन्द्रसिंह अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय

दिनांकः–28.01.2025

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि साविक आराजी खसरा नं0 626 रकवा 3 बीघा 3 बिस्वा, 627 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा किता 02 कुल रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा बाके कस्बा नगर मे स्थित है जो प्रार्थी के पिता स्व0 भैरो की खातेदारी काश्तकारी का रकबा था। जिसके सबूत के लिये जमाबंदी साविक सवंत 2025 पेश की है। दौराने भूप्रबंध उक्त आराजी का नवीन नम्बर 567/1.07 बनाया है जो गलत बनाया गया है 1.07 है0 के स्थान पर रकबा 1.16 है0 होना चाहिये था जिसके समर्थन मे खसरा पत्रक पेश किया है।

आराजी खसरा नम्बर खसरा नं0 567 मे से 0.36 ऐयर रेल्वे विभाग को चला गया, तथा प्रार्थी को 0.71 ऐयर रकबा आया। इस प्रकार से कुल रकबा 1.07 बनता है जबकि प्रार्थी के नाम 0.71 के स्थान पर 0.80 ऐयर रकबा आना चाहिये था।

अन्त मे निवेदन किया है कि साविक खसरा नं0 626 रकवा 3 बीघा 3 बिस्वा, 627 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा किता 02 कुल रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा का कुल रकबा 1.16 है0

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

बनना चाहिये था किन्तु भू–प्रबन्ध के दौराने विधि विरूद्व हाल नवीन नम्बर 567/1.07 बनाया है जबकि 1.16 है0 बनाया जाना चाहिये था जिसमे से 0.36 ऐयर रेल्वे विभाग को चला जाने की सूरत मे प्रार्थी के नाम 0.80 ऐयर रकबा आ जाये। अत मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी के नाम 0.71 ऐयर के स्थान पर 0.80 ऐयर रकबा दुरूस्त किया जाने के आदेश फरमाया जावे।

मूल प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर तहसीलदार नगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.07.2006 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमे उल्लेख किया की कस्बा नगर के आराजी खसरा नं0 567/0.71 है0 पर कैलाश पुत्र भैरो जाति ब्रहाम्ण खातेदार व खसरा नं0 567/0.36 गै0मु0 रेल पथ रेलवे विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नं0 567 रकबा 1.07 है0 साबिक खसरा नं0 626 रकबा 3 बीघा 3 विश्वा व 627 रकबा 4 बीघा 2 विश्वा से बना है, उक्त दोनो नम्बरो का कुल रकबा 7 बीघा 5 विश्वा होता है, जिसका हाल रकबा 1.07 है0 बना है जो गत के मुकाबले 0.09 है0 कम है। साबिक खसरा नं0 626, 627 जमांबदी संवत 2026 के अनुसार भौरो पुत्र कन्नी कौम ब्रहाम्ण के नाम खातेदारी मे दर्ज है। साबिक के मुकाबले हाल रकबे मे जो 0.09 है0 भूमि कम है वह भूमि पडोसियान के किन–किन खसरा नम्बरान मे मिली है इस बाबत पडौसी खसरा नं0 540, 538, 536, 566, 568 से जांच की गई तो पाया कि पडोसियान के किसी नम्बर को मुताबिक खसरा पत्रक के भू–प्रबंध विभाग ने साबिक खसरा नं0 626, 627 से नही बनाया गया है अत यह स्पष्ट नही है कि प्रार्थी की 0.09 है0 भूमि किस खसरा नं0 मे मिलाई गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मे साबिक खसरा नं0 626 व 627 का कोई नक्शा प्रस्तुत नही किया गया है, अत यह पता नही लगाया जा सकता की प्रार्थी की कम हुई 0.09 है0 भूमि किस खसरा नं0 मे मिलायी गयी है।

भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.07.2006 को सयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमे उल्लेख किया है कि साबिक खसरा नं0 626, 627 से नवीन खसरा नं0 567 रकबा 1.07 है0 बना है, नवीन खसरा नं0 का रकबा गत के मुकाबले कम आया हैं। खसरा नं0 567 की मौके पर पैमाइश कर देखा गया तो खसरा नं0 567 का रकबा 1.16 है0 होता है, अत राजस्व रिकॉर्ड के मुकाबले खसरा नं0 567 का रकबा मौके पर 0.09 है0 बेशी है अत गत के मुकाबले खसरा नं0 567 का रकबा मौके पर पुरा है।

उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जाहिर किया गया कि आराजी के संबंध मे पूर्व मे ही रिपोर्ट पेश की जा चुकी है अत अलग से जवाब की आवश्यकता नही है अत रिपोर्ट को ही जवाब पढा जावे। आदेशिका दिनांक 22.02.2007 मे उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे खसरा नं0 567 रकबा 1.07 है0 का मौके पर रकबा साबिक के मुकाबले 1.16 है0 होना बताया है तथा रिकॉर्ड मे 0.09 रकबा वृद्वि करना प्रस्तावित किया है परन्तु 0.09 है0 रकबा नवीन खसरा नम्बरान मे कम किया जायेगा इस बाबत कोई रिपोर्ट पेश नही किये जाने से पूनः तत्थामक रिपोर्ट तलब किया जाने का आदेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

तहसीलदार नगर द्वारा दिनांक 11.03.2008 को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को मूल ही प्रस्तुत किया गया। उक्त रिपोर्ट मे खसरा नं0 567 रकबा 0.71 से खसरा नं0 540 रकबा 5.21 है0 लगा हुआ बताया गया, खसरा नं0 540 रकबा 5.21 है0 साबिक खसरा नं0 585 मिन रकबा 1 बीघा 5 विश्वा, 587 रकबा 3 बीघा 15 विंश्वा, 588 रकबा 1 बीघा 18 विश्वा, 589 रकबा 2 बीघा 3 विश्वा, 590 रकबा 4 बीघा 2 विश्वा, 529 रकबा 15 बीघा 15 विश्वा अर्थात कुल रकबा 28 बीघा 18 बिश्वा अर्थात 4.63 है0 अन्तर 0.58 है0 बेशी वर्तमान मे आया है, प्रार्थी का 0.09 है0 रकबा खसरा नं0 540 मे निकलता है।

आदेशिका दिनांक 25.04.2024 से प्रकरण मे तहसीलदार नगर पुन तथ्यात्मक रिपोर्ट बिन्दुवार ली गई, जिसमे उल्लेख किया है कि प्रकरण मे दर्ज हाल खसरा नं0 567/0.43, 3126/0.28 किता 02 रकबा 0.71 मे हाल राजस्व रिकॉर्ड कैलाशचन्द पुत्र भैरो जाति ब्रहाम्ण निवासी कस्बा नगर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है व 2914/567 रकबा 0.36 है0 रेलवे विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है इस प्रकार हाल रिकॉर्ड मे खसरा नं0 567 का कुल रकबा 1.07 है0 है। चूकि हाल रिकॉर्ड मे गत के मुकाबले उक्त खसरा नम्बरान का रकबा कम अंकित है जिसमे तथ्यात्मक रिकॉर्ड गत व हाल खसरा नं0 के पूर्ण अध्ययन व मौके पर रकबा बरारी के पश्चात् ही किया सकता है अत उक्त प्रकरण घोषणात्मक दावे से संबंधित है।

अप्रार्थी संख्या 02 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर इस आशय का जवाब प्रार्थना पेश किय है कि प्रार्थी ने केवल क्यास व अनुमान के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र महज तंग व परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया है। हाल आराजी खसरा नं0 540 रकबा 5.21 के मुताविक राजस्व रिकॉर्ड साविक खसरा नम्बरान 585, 587, 588, 589, 590, 529 थे। साबिक खसरा नं0 585, 587, 589, 590, 628, 629, 630 किता 7 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा तारीख 16.08.1978 को अमरचन्द से मुकुट बिहारी, मुरारीलाल, सतीशचंद, अनील कुमार पिस0 प्रभूदयाल जाति वैश्य निवासी कस्बा नगर ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा क्रय किया था इनको प्रकरण मे पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया। इस प्रकार विधि का सिद्वान्त नौनजोइन्डर ऑफ पार्टी होने के कारण प्रकरण खारिज किया जाने योग्य है। साबिक खसरा नं0 529 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा बाके कस्बा नगर को अमरचन्द से ही अप्रार्थी प्रभूदयाल ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा तारीख 16.08.1979 को क्रय किया था। जिसका भी हाल खसरा नं0 540/5.21 है0 तथा हाल खसरा नं0 540/5.21 बाके कस्बा नगर से 38/647 हिस्सा अप्रार्थी प्रभूदयाल ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा लल्लू व इस्माइल से तारीख 28.01.1985 को क्रय किया है। हाल आराजी खसरा नं0 539/2792/0.02 गैर. मुमकिन चाह प्रेमदास से मुकुट बिहारी, मुरारीलाल, सतीशचन्द, अनिल कुमार पिसरान प्रभूदयाल जाति वैश्य निवासी कस्बा नगर ने रजिस्ट्रर्ड बयनामा तारीख 18.08.1982 को क्रय किया है। इस प्रकार से अप्रार्थी ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा अपनी आराजीयात खरीदी है जिनकी प्रतियां पेश की है और अपनी खरीदशुदा रकबे पर काबिज है। प्रभावित सभी पक्षकारो को मुकदमे मे पक्षकार नही बनाया गया है अत प्रार्थना पत्र डिफेक्टिव होने से खारिज योग्य है।

अधिकारी

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया है कि साविक आराजी खसरा नं0 626 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा एंव 627 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा निस्फ, प्रार्थीयान के दादा स्व0 भैरो की खातेदारी काश्तकारी का रकबा था जिसके समर्थन मे साविक जमाबंदी सवंत 2026 पेश किया है इसका नवीन बन्दोबस्ती रकबा 1.16 है0 बनता है। हाल आराजी खसरा नं0 567 के रकबे मे से 0.36 ऐयर रेलवे विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा शेष रकबा 0.80 ऐयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज होना चाहिये। जबकि वर्तमान रिकॉर्ड मे उसके नाम 0.71 है0 रकबा ही दर्ज है, अत खसरा नं0 540 मे से 0.09 है0 भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाकर 0.71 है0 के स्थान पर 0.80 है0 रकबा दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होकर निवेदन किया है कि प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का न होकर घोषणा खातेदारी का है जिसमे प्रार्थी का सिद्व करना होगा कि उसका रकबा किस खसरा नं0 मे सम्मलित हुआ है।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस मानने के लिये निवेदन किया है तथा कथन किया कि खसरा नं0 540 के सम्पूर्ण खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है, न ही यह स्पष्ट किया गया है कि खसरा नं0 540 मे किस तरफ प्रार्थी का रकबा बढाया गया है। गिरदावर पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.07.2006 के अनुसार खसरा नं0 567 का रकबा मौके पर पूरा है अत प्रार्थना पत्र डिफेक्टिव है और उसे खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया। पत्रावली मे सम्मलित जमाबंदी सवंत 2026 के अनुसार खसरा नं0 626 रकबा 3 बीघा 3 बिश्वा व 627 रकबा 4 बीघा 2 बिश्वा कुल किता 02 रकबा 7 बीघा 5 बिश्वा की खातेदारी भैरो वल्द कन्नी कौम ब्रहाम्ण सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नं0 626, 627 के हाल खसरा नं0 567 रकबा 1.07 है0 बनना प्रमाणित है, हाल जमाबंदी सवंत 2075 से 2078 के अनुसार खसरा नं0 3126/567/0.28 व खसरा नं0 567/0.43 कैलाश पुत्र भैरो जाति ब्रहाम्ण खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त सवंत की जमाबंदी के खसरा नं0 2914/567/0.36 है0 रेलवे विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक रिकॉर्ड से हाल रिकॉर्ड का अवलोकन करने से यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थी के नाम वर्णित हाल खातेदारी मे 0.09 है0 रकबा कम दर्ज हुआ है, प्रार्थी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र मे यह स्पष्ट नही किया है कि उसका रकबे मे जो कमी हुयी है, वह किस खसरा नं0 से उसकी पूर्ती चाहता है, यद्यपि तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.07.2006 मे खसरा नं0 567 का रकबा मौके पर पुरा बताया है तथा दिनांक 11.03.2008 को प्रेषित रिपोर्ट मे प्रार्थी का 0.09 है0 रकबा खसरा नं0 540 मे निकलना बताया है। पत्रावली मे सम्मलित जमाबंदी सवंत 2075 से 2078 मे वर्णित खसरा नं0 3129/540/2.27 है0 व खसरा नं0 540/2.10 है0 मे 45 सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक खसरा नं0

उपखण्ड अधिकारी
(...) राज0

40 रकबा 5.21 है0 साबिक खसरा नं0 585 मिन रकबा 1 बीघा 5 विश्वा, 587 रकबा 3 बीघा 15 विश्वा, 588 रकबा 1 बीघा 18 विश्वा, 589 रकबा 2 बीघा 3 विश्वा, 590 रकबा 4 बीघा 2 विश्वा, 529 रकबा 15 बीघा 15 बिश्वा से बना है अत हाल जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिस खसरा नं0 से प्रार्थी कमी रकबे की पूर्ती चाहता है उनसे संबंधित सभी खातेदारो को प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है, साथ ही पत्रावली मे ऐसा कोई साबिक नक्शा भी प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि हाल नक्शा साबिक की तुलना मे कम का बनाया गया हो। अत पत्रावली मे आवश्यक दस्तावेजात का अभाव होने व संबंधित खातेदारो को पक्षकार न बनाये जाने का अभाव पाये जाने से प्रकरण खारिज योग्य पाया जाता है, अत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों, पूर्ण पक्षकार के अभाव मे खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

28/1/2025

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०